अनुसूची 14–फारम सं0 563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की ग करवाई के बारे टिप्पणी तारीख साथ 3

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, अरवल

वाद सं0–14 / डी0एम0 / 2013 (अरवल)
वाद सं0–16 / डी0एम0 / 2011 (जहानाबाद)
भरत सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य

आदेश

21.03.2017

सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–1292 / 2005 में पारित माननीय न्यायादेश दिनांक–18.01.2011 के अनुपालन में **भरत सिंह (तत्कालीन पंचायत सेवक), पिता–स्व0 नथुनी सिंह, ग्राम–जोगिया, पो0–लखनीपुर, थाना–मोहनपुर, जिला–गया** द्वारा समाहर्त्ता, जहानाबाद के न्यायालय में दिनांक–09.08.2011 को अभ्यावेदन दाखिल की गई। उनके द्वारा माननीय न्यायादेश के अनुपालन में बकाया राशि भुगतान हेतु अनुरोध किया गया। आवेदक श्री भरत सिंह के आवेदन पर समाहर्त्ता, जहानाबाद के न्यायालय में विविध वाद सं0–16 / डी0एम0 / 2011 संचालित किया गया एवं विषयांकित मामला अरवल जिला से संबंधित होने के कारण उक्त वाद को दिनांक–30.08.2016 को जिला पदाधिकारी, अरवल के न्यायालय मे स्थानांतरित कर दिया गया। जिला पदाधिकारी, अरवल द्वारा दिनांक–07.09.2013 को संबंधित पक्षों को नोटिस निर्गत करते हुए सूचित किया गया। तत्पश्चात निर्धारित तिथि पर संबंधित पक्षों द्वारा कागजात समर्पित की गई। संबंधित पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–1292 / 2005 में पारित माननीय न्यायादेश दिनांक–18.01.2011 द्वारा आवेदक श्री भरत सिंह के आवेदन दिनांक 06.08.1998 पर विचार कर विवेचित आदेश नियमानुसार पारित करने का निर्देश समाहर्त्ता को दिया गया है।

वादी के आवेदन दिनांक–06.08.1998 में यह अंकित किया गया है कि ग्राम बलिदाद के बाजार प्रांगण में **विशेष क्षेत्रीय योजना** संख्या 08 / 1986–87 अंतर्गत दस कोठरी (दुकान) के निमित मानक प्राक्कलन रू0 **228000 / –(दो लाख अठाइस हजार)** स्वीकृत था। जबकि जगह की कमी के कारण सड़क के दोनो तरफ छोटा आकार का दस–दस कोठरी (दुकान) अर्थात बीस कोठरी (दुकान) का निर्माण अभिकर्ता द्वारा कराया गया है। योजना कार्य निर्माण हेतु अग्रिम के रूप में अभिकर्ता को रू0 **274298 / –(दो लाख चौहतर हजार दो सौ अन्ठान्वें)** का भुगतान किया गया है। कनीय अभियंता एन0आर0ई0पी0 द्वारा योजना का अंतिम मापी पुस्तिका मे मो0–**295694** / –(दो लाख पंचान्वें हजार छः सौ चौरान्वें) रू0 दर्ज की गई है। कार्यपालक अभियंता एन0आर0ई0पी0 ने दिनांक–16.05.1995 को अतिरिक्त कोठरी (दुकान) निर्माण में लागत राशि की घटनोंतर प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुसंशा की गई, परन्तु बकाया अवशेष राशि भुगतान नहीं हो सका। शेष राशि का भुगतान हेतु वादी–सह–अभिकर्ता, श्री भरत सिंह द्वारा अनुरोध किया गया है।

उप विकास आयुक्त, जहानाबाद के पत्रांक–1791 / जि0ग्रा0वि0अभि0, दिनांक–04.09.2013 में अंकित है कि *"तत्कालीन जिला पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा दस दुकानों के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति मो0–228417 / –(दो लाख अठाईस हजार चार सौ सत्रह) रू0 दी गई थी, लेकिन दस दुकानों के बदले बीस दुकानों का निर्माण (9x10 साईज में) करा दिया*

गया था। बीस दुकानों के निर्माण कराए जाने में मो0–**295694**/–(दो लाख पंचान्वें हजार छः सौ चौरान्वें) रू0 व्यय हुआ। जिसके अभिकर्त्ता तत्कालीन पंचायत सेवक, श्री भरत सिंह, (वर्तमान में सेवा निवृत) थे। अभिकर्ता को उक्त योजना में मो0–**274298**/–(दो लाख चौहतर हजार दो सौ अन्ठान्वें) रू0 अग्रिम दिया गया था। शेष राशि का भुगतान हेतु विषयांकित योजना का मूल अभिलेख घटनोंतर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए बकाया राशि भुगतान करने हेतु जिला विकास शाखा, जहानाबाद को भेजा गया था। किन्तु विषयांकित योजना अभिलेख प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अरवल को वापस नहीं भेजा जा सका है। उक्त योजना अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो रहा है। चूँकि अरवल जिला का गठन हो चुका है और योजना का प्रशासनिक स्वीकृति के लिए जिलाधिकारी स्वंय सक्षम पदाधिकारी हैं। यह श्रेयस्कर होगा की इस संबंध मे उक्त योजना मे किए गए कार्य का मापी कराकर उक्त अवधि के अनुसूचित दर के अनुसार प्राक्कलन तैयार किया जाय और इसकी घटनोत्तर स्वीकृति जिला पदाधिकारी, अरवल से प्राप्त कर ली जाय। क्योंकि आज की तिथि मे योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति देना इस जिले के क्षेत्राधिकार से बाहर की बात है"

कार्यालय मे योजना का मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं रहने के कारण उक्त योजना अभिलेख की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त योजना की मानक प्राक्कलन मो0–**228417**/–(दो लाख अठाईस हजार चार सौ सत्रह) रू0 की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक–30.05.1987 को जिला पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा दी गई है। जगह के कमी के मद्देनजर एवं जनहित एवं स्थानीय मांग को देखते हुए दस के बजाय बीस दुकानें सड़क के दोनो तरफ तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अरवल के आदेश पर अभिकर्ता श्री भरत सिंह, तत्कालीन पंचायत सेवक द्वारा निर्माण करा दिया गया। सभी बीस दुकाने किराया पर लगा भी दी गयी। अभिलेख से यह भी विदित है कि एन0आर0ई0पी0 जहानाबाद के कनीय अभियंता द्वारा योजना कार्य का अंतिम मापी मो0–**295694**/–(दो लाख पंचान्वें हजार छः सौ चौरान्वें) रू0 बताया गया। अभिकर्त्ता श्री भरत सिंह को तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अरवल द्वारा **274298**/–(दो लाख चौहतर हजार दो सौ अंठान्वें) रू0 अग्रिम के रूप में दिया गया था। कार्य योजना स्थल पर निर्मित दुकानों का सत्यापन व मापी कनीय अभियंता, करपी द्वारा की गई। उनके द्वारा बीस दुकानों के निर्माण में मो0–**295694**/–(दो लाख पंचान्वें हजार छः सौ चौरान्वें) रू0 योजना अभिकर्त्ता का खर्च होना प्रतिवेदित किया गया है।

दिनांक 18.03.1994 को योजना अभिलेख आदेश पत्रक मे अंकित है कि "ये अभिलेख अरवल प्रखण्ड के अर्न्तगत विशेष क्षेत्रीय योजना के अर्न्तगत ग्राम–वलिदाद मे बाजार प्रांगण निर्माण का है। अभिलेख से ज्ञात होता है कि मानक प्राक्कलन के अनुसार 228417/ (दो लाख अठाइस हजार चार सौ सतरह) रू0 पर दस कोठरी (दुकान) के निर्माण हेतु समाहर्ता महोदय द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति आदेश फलक दिनांक 30.05.1987 द्वारा मिली है।

अभिलेख के अवलोकन एवं छान–बीन से स्पष्ट होता है कि जनहित एवं स्थानीय मांग के मद्देनजर रखते हुए वलिदाद मे दस और दुकान उसी के सामने तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं विभागीय अभिकर्त्ता द्वारा बनाई गयी है। ऐसी परिस्थिति में संबंधित बीस दुकान योजना अर्न्तगत उपलब्ध आवंटन से विभागीय अभिकर्त्ता द्वारा निर्माण कराया जा चुकॉ है। और सभी बीस दुकाने मासिक किराये पर लग चुके है। निर्मित बीस दुकानों को प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक है। मापी पुस्तिका सं0 11/1986–87 के पृ0 सं0 80 पर कनिय अभियंता एन0आर0ई0पी0 द्वारा अंकित मापी के अनुसार योजना पर दिये गये कुल कार्यो का मूल्य **295694** (दो लाख पन्चानवे हजार छः सौ चौरानवे) रू0 होता है। जिसके विरूद्ध अभिकर्ता को नगद एवं समान के रूप मे कुल रू0 **274298** का भुगतान तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जा चुकॉ है। तत्कालीन पदाधिकारी द्वारा योजना मापी की अंतिम जॉच उपर्युक्त प्रशासनिक स्वीकृति के अभाव मे भी लंबित है।

*उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर **295694** रू0 बीस दुकान निर्मित हेतु पास्ट फैक्टो प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुशंसा के साथ मूल अभिलेख उप विकास आयुक्त, जहानाबाद के पास भेजे"।*

अभिलेख वाद मे उपलब्ध साक्ष्यों एवं कनीय अभियंता, करपी द्वारा प्रस्तुत मापी प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि योजना अभिकर्ता श्री भरत सिंह (तत्कालीन पंचायत सेवक) द्वारा वलिदाद बाजार प्रांगण में बीस दुकानों के निर्माण कार्य कराया गया, जिसकी कुल लागत तत्कालीन कनीय अभियंता के मापी के अनुसार रू0 **295694**/– (दो लाख पंचान्वें हजार छः सौ चौरान्वें) होती है। इस प्रकार भुगतान की गई अग्रिम राशि **274298**/–(दो लाख चौहतर हजार दो सौ अंठान्वें) रू0 के बाद बकाया शेष राशि मो0–**21396**/–(एक्कीस हजार तीन सौ छेयान्वें) रू0 होगी। जैसा की अभिकर्ता श्री भरत सिंह, तत्कालीन पंचायत सेवक का दावा भी है।

उप विकास आयुक्त, अरवल अपने स्तर से वर्तमान भौतिक निरीक्षण के आधार पर तत्कालीन दर से संभावित प्राक्कलन तैयार कराकर मापी के अनुरूप बकाया राशि का निर्धारण कराते हुए जो बकाया राशि की गणना होती है एवं वादी द्वारा जो बकाया राशि का दावा किया गया है, में से जो भी कम हो का भुगतान श्री भरत सिंह (तत्कालीन पंचायत सेवक) को एक पक्ष के अन्दर सुनिश्चित कराएँ साथ ही साथ उप विकास आयुक्त, अरवल को यह भी निदेश दिया जाता है कि तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अरवल जिन्होंने बिना विधिवत स्वीकृति के मात्र जनता की मांग को आधार बनाते हुए तत्कालीन जिला पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा स्वीकृत योजना से भिन्न कार्य कराये जाने का आदेश प्राप्त किये बिना कार्य कराया, उसपर विधि सम्मत कार्रवाई प्रारंम्भ करायेंगे।

लेखापित एवं संशोधित

21/3/17
समाहर्त्ता,
अरवल।

21/3/17
समाहर्ता,
अरवल।

ज्ञापांक– 04 /वि0न्या0, अरवल, दिनांक–21/3/2017

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– उप विकास आयुक्त, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, अरवल को सूचनार्थ एवं उक्त आदेश के अनुपालन में कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– भरत सिंह (सेवा निवृत पंचायत सेवक), पिता–स्व0 नथुनी सिंह, ग्राम–जोगिया, पो0–लखनीपुर, थाना–मोहनपुर, जिला–गया को सूचनार्थ प्रेषित।

21/3/17
समाहर्ता,
अरवल।